प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगलपीठ: माननीय श्री न्यायमूर्ति सुनील कुमार सिन्हा एवं

माननीय श्री न्यायमूर्ति राधेश्याम शर्मा

दांडिक अपील क्रमांक 944/ 1995

गणेश

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़ राज्य)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विचाराधीन निर्णय

हस्ताक्षरित/-

आर.एस. शर्मा

न्यायाधीश

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति:

मैं सहमत हूँ।

हस्ताक्षरित/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

दिनांक 27-09-2011 हेतु सूचीबद्ध

हस्ताक्षरित/-

आर.एस. शर्मा

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगलपीठ: माननीय श्री न्यायमूर्ति सुनील कुमार सिन्हा एवं

माननीय श्री न्यायमूर्ति राधेश्याम शर्मा

दांडिक अपील क्रमांक 944/ 1995

अपीलार्थी: गणेश, पिता रामगुलाम सारथी, आयु लगभग 24 वर्ष, निवासी सिंधी कॉलोनी, कस्तूरबा नगर, थाना सिविल लाइन्स, जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

बनाम

प्रत्यर्थी: मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़ राज्य)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित: श्री एन.एल.सोनी, अपीलार्थी के अधिवक्ता।

श्री आशीष शुक्ला, राज्य/प्रत्यर्थी हेतु शासकीय अधिवक्ता।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के अंतर्गत दांडिक अपील

निर्णय

(दिनांक 27-9-2011 को पारित)

माननीय श्री राधेश्याम शर्मा, न्यायमूर्ति द्वारा:

1. यह अपील सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 426/1991 में पारित निर्णय दिनांक 21-6-1995 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। आक्षेपित निर्णय के माध्यम से, अपीलार्थी गणेश को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत सिद्धदोष ठहराया गया है और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

2. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है:

उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन, अर्थात् दिनांक 13-4-1991 को, लगभग शाम 4:30 बजे, मृतक श्यामसुंदर अपने घर में भोजन कर रहा था। उसी समय, एक मेहतर लड़का अपनी पतंग निकालने के लिए मृतक के घर के पीछे झाड़ियों में पत्थर फेंक रहा था। पत्थर मृतक के घर की खपरैल पर गिर रहे थे और उन्हें तोड़ रहे थे। मृतक उस लड़के को पत्थर फेंकने से रोकने के लिए गया। उसकी पत्नी सुरजाबाई (अ.सा.-1) भी उसके साथ गई। मृतक ने लड़के से पत्थर फेंकना बंद करने और पेड़ पर चढ़कर पतंग निकालने को कहा। उसी समय, अपीलार्थी और उसका भाई बल्लू उर्फ नरेश कुमार (सह-अभियुक्त), हाथ में लाठी लिए अपने घर से वहां आए। अपीलार्थी ने पहले मृतक पर लाठी से हमला किया, जिसके कारण मृतक गिर गया। इस पर सुरजाबाई (अ.सा.-1) चिल्लाई। अपीलार्थी और सह-अभियुक्त ने उसका पीछा किया। कुछ दूर दौड़ने के बाद वह रुक गई। इसी बीच मृतक की पुत्री रानीबाई (अ.सा.-4) भी वहां आ गई। अपीलार्थी और सह-अभियुक्त दोनों ने मृतक के सिर पर लाठी से वार किए। इसके कारण मृतक की वहीं मृत्यु हो गई। सुरजाबाई (अ.सा.-1) ने घटना के दिन ही प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी-1) दर्ज कराई। मर्ग सूचना (प्रदर्श पी-12) भी दर्ज की गई। अन्वेषण अधिकारी ने घटनास्थल पर पहुंचकर पंचों को सूचना (प्रदर्श पी-3) दिया और मृतक के शरीर का मृत्यु समीक्षा (प्रदर्श पी-4) तैयार किया। मृतक के शव

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

को शवपरीक्षण हेतु प्रदर्श पी-14 के माध्यम से शासकीय अस्पताल, बिलासपुर भेजा गया। शवपरीक्षण डॉ. के.के. साव (अ.सा.-5) द्वारा किया गया, जिन्होंने अपना प्रतिवेदन प्रदर्श पी-14ए दी।उन्होंने निम्नलिखित चोटें पाईं:(i) चेहरे के दाहिनी ओर ऊपरी जबड़ा और निचला जबड़ा के ऊपर एक डिप्रेस्ड फ्रैक्चर, दाहिनी आंख का गोला अंदर धंसा हुआ था (ii) चेहरे के दाहिनी ओर 5"x1½" का गहरा घाव , जो हड्डी तक गहरा था।(iii) ठुड्डी के ऊपर आड़े रूप में स्थित 3"x1" का अनियमित गहरा घाव। (iv) निचले जबड़े के दाहिने कोण के नीचे 1"x½" का गहरा घाव। (v) दाहिने कान की लोब्यूल पर 1"x¼" का गहरा घाव।(vi) ऑक्सीपिटल क्षेत्र के दाहिनी ओर 2"x½" का गहरा घाव, जो लंबवत स्थित था। (vii) दाहिने कान के पीछे 1"x½" का आड़ा गहरा घाव। उनका मत था कि मृत्यु का कारण सिर की चोट से हुआ सिनकोप (मूर्छा/बेहोशी) था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अनवेष्ण के दौरान, प्रदर्श पी-5 के माध्यम से सादी मिट्टी और खून से सनी मिट्टी जब्त की गई। साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत अपीलार्थी का मेमोरेंडम कथन (प्रदर्श पी-8) दिनांक 14-4-1997 को दर्ज किया गया और उसकी निशानदेही पर एक बांस (लाठी) प्रदर्श पी-10 के माध्यम से जब्त की गई। जब्तशुदा वस्तुओं को रासायनिक परीक्षण के लिए निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, सागर को प्रदर्श पी-17 के माध्यम से भेजा गया और प्रतिवेदन प्रदर्श पी-18 प्राप्त हुई। एफ.एस.एल प्रतिवेदन के अनुसार, वस्तुओ ए, डी, ई1, ई2 और जी1 से जी5 पर रक्त पाया गया।

अन्वेषण पूरा होने के बाद, अपीलार्थी और सह-अभियुक्त के विरुद्ध मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिलासपुर की न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया, जिन्होंने मामले को सत्र न्यायालय को अर्पित कर दिया। सत्र न्यायालय ने विचारण किया और

अपीलार्थी को उपरोक्त अनुसार सिद्धदोष ठहराया। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने सह-अभियुक्त बल्लू उर्फ नरेश कुमार को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त कर दिया।

3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री एन.एल. सोनी ने तर्क दिया कि इस मामले में कोई स्वतंत्र चश्मदीद गवाह नहीं है। सुरजाबाई (अ.सा.-1) मृतक की विधवा है, वह एक रिश्तेदार और अत्यधिक हितबद्ध साक्षी है। उसके द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी-1) और न्यायालय के समक्ष दिए गए उसके साक्ष्य में विरोधाभास है। उन्ही साक्ष्यों के आधार पर सह-अभियुक्त बल्लू उर्फ नरेश कुमार को सत्र न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया है, इसलिए अपीलार्थी भी दोषमुक्त होने का हकदार है। सुरजाबाई (अ.सा.-1) का एकल साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है और इसलिए अपीलार्थी की दोषसिद्धि का आधार नहीं बन सकता। विद्वान अधिवक्ता ने **संतोष सिंह बनाम एम.पी. राज्य (अब छत्तीसगढ़ राज्य),2011 (1) सी.जी.एल.आर.डब्लू 303 (डी.बी)** और **उगर अहीर एवं अन्य बनाम बिहार राज्य, ए आई आर 1965 एस.सी 277** के मामलों पर अवलंब लिया ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. इसके विपरीत, राज्य/प्रत्यर्थी हेतु विद्वान शासकीय अधिवक्ता श्री आशीष शुक्ला ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए निवेदन किया कि विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा दी गई दोषसिद्धि और सजा में इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

5. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है और आक्षेपित निर्णय के साथ-साथ सत्र मामले के अभिलेख का भी अवलोकन किया है। अपीलार्थी की धारा 302 भा.दं.सं. के तहत दोषसिद्धि सुरजाबाई (अ.सा.-1) के एकल साक्ष्य पर आधारित है।

6. **धरणीधर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य (2010) 7 एस.सी.सी 759** में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार निर्धारित किया है:

"12. ऐसा कोई कठोर नियम नहीं है कि परिवार के सदस्य कभी भी घटना के सच्चे गवाह नहीं हो सकते और वे हमेशा न्यायालय के समक्ष झूठी गवाही देंगे। यह हमेशा किसी दिए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा... न्यायालय का विचार था कि 'हित्बद्ध गवाह' के साक्ष्य के साथ व्यवहार करते समय एक संकीर्ण दृष्टिकोण नहीं अपनाया जा सकता। ऐसे साक्ष्य को केवल इसलिए अनदेखा या खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि पीड़ित के निकट संबंधी व्यक्ति ने ऐसा साक्ष्य दिया है।" न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है: (एस.सी.सी पृष्ठ क्र.213,कंडिका 23-24)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "23. हमारा यह सुविचारित मत है कि जिन मामलों में न्यायालय को हित्बद्ध साक्षियो के साक्ष्य पर विचार करना होता है, वहां साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय न्यायालय का दृष्टिकोण संकीर्ण नहीं होना चाहिए। न्यायालय को हित्बद्ध साक्षियो द्वारा दिए गए साक्ष्य की विवेचन और स्वीकार करते समय सतर्क रहना चाहिए, लेकिन ऐसे साक्ष्य के प्रति संदेहास्पद नहीं होना चाहिए। न्यायालय का प्राथमिक प्रयास निरंतरता की तलाश करना होना चाहिए। किसी गवाह के साक्ष्य को केवल इसलिए अनदेखा या खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि वह पीड़ित का करीबी रिश्तेदार है।"

13. इसी तरह का दृष्टिकोण इस न्यायालय द्वारा **राम भरोसे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2010) 1 एस.सी.सी 722** में अपनाया गया था, जहाँ न्यायालय ने विधि का यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि मृतक का करीबी रिश्तेदार होने मात्र से कोई व्यक्ति हित्बद्ध साक्षियो नहीं बन जाता है। एक हित्बद्ध साक्षियो वह है जो प्रतिशोध या शत्रुता के कारण या विवादों के कारण किसी व्यक्ति को सिद्धदोष ठहराने में रुचि रखता है और केवल उसी आशय से न्यायालय के समक्ष गवाही देता है न कि न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए। हित्बद्ध साक्षियो के साक्ष्य के मूल्यांकन से संबंधित विधि अच्छी तरह से स्थापित है, जिसके अनुसार, ऐसे गवाह के बयान को सीधे खारिज नहीं किया जा सकता, बल्कि उसे स्वीकार करने से पहले सावधानीपूर्वक जांचा जाना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. **ब्रह्म स्वरूप एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ए.आई.आर 2011 एस.सी 280** में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अभिरनिर्धारित किया है:

"21. मात्र इसलिए कि साक्षी मृतक व्यक्तियों के निकट रिश्तेदार थे, उनके साक्ष्यों को खारिज नहीं किया जा सकता है। किसी एक पक्ष से उनका संबंध साक्षी की विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है; इसके अलावा, एक रिश्तेदार वास्तविक अपराधी को नहीं छिपाएगा और किसी निर्दोष व्यक्ति के विरुद्ध आरोप नहीं लगाएगा। एक पक्ष को एक तथ्यात्मक आधार तैयार करना होता है और उसके गलत फंसाए जाने के संबंध में निर्दोष साक्ष्य पेश करके उसे सिद्ध करना होता है। हालांकि, ऐसे मामलों में, न्यायालय को एक सतर्क दृष्टिकोण अपनाना पड़ता है और साक्ष्य का विश्लेषण यह पता लगाने के लिए करना पड़ता है कि क्या वह पुख्ता और विश्वसनीय साक्ष्य है। (देखें: **दलीप सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य, ए.आई.आर 1953 एस.सी 364; मसाल्ती बनाम उत्तर प्रदेश राज्य,**

ए.आई.आर 1965 एस.सी 202; लेहना बनाम हरियाणा राज्य, (2002)3 एस.सी.सी 76; और **रिज़वान एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, मुख्य सचिव के माध्यम से, छत्तीसगढ़ सरकार, रायपुर, छत्तीसगढ़, (2003) 2 एस.सी.सी 661) : (ए.आई.आर 2003 एस.सी 976)."**

{देखें शौकत बनाम उत्तरांचल राज्य, (2010) 5 एस.सी.सी 68 (कंडिका 35 और 36)}

8. यह निर्विवाद है कि सुरजाबाई (अ.सा.-1) मृतक की विधवा है। यह विधि नहीं है कि एक हित्बद्ध साक्षी के साक्ष्य को एक कलंकित साक्षी या सरकारी गवाह के साक्ष्य के समान माना जाना चाहिए, जिसके लिए आवश्यकता के रूप में संपुष्टि की अपेक्षा हो। एक हित्बद्ध साक्षी के साक्ष्य में अपने आप में कोई कमी नहीं होती है, लेकिन न्यायालयों को विधि के नियम के रूप में नहीं, बल्कि विवेक के नियम के रूप में यह आवश्यक है कि ऐसे साक्ष्यों की थोड़ी सावधानी से परीक्षण की जानी चाहिए। एक बार जब वह दृष्टिकोण अपना लिया जाता है और न्यायालय संतुष्ट हो जाता है कि हित्बद्ध साक्षी के साक्ष्य में सच्चाई का अंश है, तो ऐसे साक्ष्य पर संपुष्टि के बिना भी भरोसा किया जा सकता है। रिश्तेदार होने का तथ्य अपने आप में साक्ष्य को अविश्वसनीय नहीं बना सकता। जब चश्मदीद गवाहों को हित्बद्ध और आरोपी के प्रति शत्रुतापूर्ण स्वभाव वाला बताया जाता है, तो यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा कि वे वास्तविक अपराधी को बचाएंगे और निर्दोष व्यक्तियों को फंसाएंगे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. **रंजीत सिंह एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य, ए.आई.आर 2011 एस.सी 255** में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

"19. ..... 'साक्ष्य का ऐसा कोई नियम नहीं है कि तब तक कोई दोषसिद्धि नहीं दी जा सकती जब तक कि साक्षियों की एक निश्चित न्यूनतम संख्या ने किसी विशेष अभियुक्त की पहचान विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य के रूप में न की हो। यह स्वयंसिद्ध है कि साक्ष्य को गिना नहीं जाना चाहिए बल्कि केवल तौला जाना चाहिए और यह साक्ष्य की मात्रा नहीं बल्कि गुणवत्ता है जो मायने रखती है। यहाँ तक कि एक एकल साक्षी की गवाही, यदि पूर्णतः विश्वसनीय है, तो किसी अभियुक्त की पहचान एक विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य के रूप में स्थापित करने के लिए पर्याप्त है। भले ही विधि विरुद्ध जमाव का आकार काफी बड़ा हो (जैसा कि इस मामले में है) और कई व्यक्तियों ने घटना देखी हो.....' "

10. **नामदेव बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2007) 14 एस.सी.सी 150** में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यह साक्ष्य की गुणवत्ता है न कि मात्रा जो किसी तथ्य को सिद्ध या असिद्ध करने के लिए आवश्यक है। यह स्पष्ट है कि भारतीय विधि प्रणाली साक्षियों की बहुलता पर जोर नहीं देती है। न तो विधायिका (साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 134) और न ही न्यायपालिका यह आदेश देती है कि अभियुक्त के विरुद्ध दोषसिद्धि का आदेश अभिलिखित करने के लिए साक्षियों की एक विशेष संख्या होनी चाहिए। हमारी विधि प्रणाली ने हमेशा साक्ष्य की मात्रा, बहुलता या अधिकता के बजाय उसके मूल्य , भार और गुणवत्ता पर जोर दिया है। इसलिए, एक सक्षम न्यायालय के लिए यह विधिक रूप से संभव है कि वह मात्र एक विश्वसनीय गवाह के बयान पर पूर्ण अवलंब जताते हुए आरोपी को सिद्धदोष ठहराए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. जहाँ तक साक्ष्य के एक ही समूह के तर्क का प्रश्न है, **बलराजे उर्फ त्रिंबक बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2010) 6 एस.सी.सी 673** में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

> "29. विधि काफी हद तक सुस्थापित है कि भले ही सह-अभियुक्त के संबंध में इस आधार पर दोषमुक्ति दर्ज की गई हो कि वहां अतिशयोक्ति और बढ़ा-चढ़ाकर किए गए थे, फिर भी दोषसिद्धि दर्ज की जा सकती है यदि साक्ष्य किसी अन्य अभियुक्त के संबंध में ठोस, विश्वसनीय और सत्य पाया जाता है। मात्र यह तथ्य कि साक्षी मृतक के रिश्तेदार थे, उनके साक्ष्य को खारिज करने का आधार नहीं हो सकता।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. **वामन एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2011) 7 एस.सी.सी 295** में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

> "17. **बलराजे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2010) 6 एस.सी.सी 673** में, इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि मात्र यह तथ्य कि साक्षी मृतक के रिश्तेदार थे, उनके साक्ष्य को खारिज करने का आधार नहीं हो सकता। आगे यह अभिनिर्धारित किया गया कि जब चश्मदीद साक्षियों को हितबद्ध और अभियुक्त के प्रति शत्रुतापूर्ण स्वभाव वाला बताया जाता है, तो यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा कि वे वास्तविक अपराधी को बचाएंगे और निर्दोष व्यक्तियों को फंसाएंगे। साक्ष्य की सत्यता या अन्यथा को व्यावहारिक रूप से तौला जाना चाहिए और न्यायालय को रिश्तेदार साक्षियों और अभियुक्त के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार रखने वाले साक्षियों के साक्ष्य का विश्लेषण करना आवश्यक होगा। ऐसा कहने के बाद, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि: (एस.सी.सी पृ. 679, कंडिका 30)

'30. ..... यदि उनके साक्ष्य के सावधानीपूर्वक विश्लेषण और जांच के बाद, साक्षियों द्वारा दिया गया विवरण स्पष्ट, ठोस और विश्वसनीय प्रतीत होता है, तो उसे खारिज करने का कोई कारण नहीं है।' "

19. उपरोक्त सिद्धांतों को **उत्तर प्रदेश राज्य बनाम नरेश, (2011) 4 एस.सी.सी 324** में पुनः दोहराया गया है। यहाँ भी, इस न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया है कि रिश्तेदार किसी साक्षी की विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं हो सकता। इस बिंदु पर विधि का निम्नलिखित कथन सुसंगत है: (एस.सी.सी पृ. 334, कंडिका 29)

"29. .... किसी साक्षी के साक्ष्य को केवल अपराध के पीड़ित के साथ उसके रिश्तेदार के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है। रिश्तेदार के साक्ष्य से संबंधित अभिवेदन में मामले में कोई सार नहीं बचता है यदि साक्ष्य में विश्वसनीयता है और उस पर अवलंब किया जा सकता है। ऐसे मामले में बचाव पक्ष को आधार तैयार करना होता है यदि झूठे फंसाए जाने की तर्क दिया जाता है और न्यायालय को रिश्तेदार साक्षियों के साक्ष्य का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करना होता है ताकि यह पता चल सके कि क्या वह ठोस और विश्वसनीय है। (देखें **जरनैल सिंह बनाम पंजाब राज्य, (2009) 9 एस.सी.सी 719, विष्णु बनाम राजस्थान राज्य, (2009) 10 एस.सी.सी 477 और बलराजे, (2010) 6 एस.सी.सी 673**)।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. सुरजाबाई (अ.सा.-1) ने बयान दिया कि दिनांक 13-4-1991 को, जिस दिन घटना हुई, लगभग शाम 4 बजे, वह, उसकी पुत्री रानीबाई (अ.सा.-4) और उसका पति श्यामसुंदर (मृतक) घर पर भोजन कर रहे थे। उसकी पुत्री की आयु लगभग 18 वर्ष थी।

किसी ने उनके घर पर पत्थर फेंके। वे पत्थर उनके घर की खपरैल पर गिरे। उसका पति पत्थर फेंकने वाले व्यक्ति को देखने बाहर गया। वह भी उसके साथ गई। जब वह बाहर आई, तो उसने देखा कि उसका पति एक मेहतर लड़के से बात कर रहा था। जब वह और उसका पति मेहतर लड़के से दूर जाकर अपने घर के बाहर खड़े थे, तो अभियुक्त व्यक्ति उसके पति के पास आए। अभियुक्त गणेश हाथ में लाठी लिए था लेकिन सह-अभियुक्त के पास कोई हथियार नहीं था। अभियुक्त गणेश ने अपने पति पर लाठी से हमला किया और सह-अभियुक्त बल्लू वहां मौजूद रहा। लाठी का प्रहार अभियुक्त गणेश द्वारा उसके पति के सिर पर किया गया था। उसका पति वहीं गिर गया। तत्पश्चात, अभियुक्त गणेश ने फिर से उसके पति को 2-3 लाठी के वार किए। वे वार सिर और मुंह पर किए गए थे। प्रतिपरीक्षण में, उसने बयान दिया कि अभियुक्त गणेश ने उसके पति को 3-4 लाठी के वार किए थे। जब अभियुक्त गणेश लाठी से उसके पति पर हमला कर रहा था, वह कुछ कदम दूर खड़ी थी। जब अभियुक्त व्यक्तियों ने उसे भागने पर मजबूर किया, तो वह किरायेदारों की ओर भागी। 3-4 किरायेदार वहां बाहर आ गए। अभियुक्त व्यक्तियों ने कुछ दूर तक उसका पीछा किया और वे खेत में खड़े रहे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. सुरजाबाई (अ.सा.-1) ने दिनांक 13-4-1991 को शाम 5 बजे प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी-1) दर्ज कराई। घटना दिनांक 13-4-1991 को लगभग शाम 4:30 बजे हुई थी। थाने की दूरी उसके घर से 2 किलोमीटर है। प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी-1) घटना के आधे घंटे के भीतर दर्ज कराई गई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी-1) में उल्लेख है कि गणेश सारथी और उसका भाई बल्लू सारथी अपने घर से लाठियों के साथ आए थे। गणेश ने उसके पति पर पहले सिर पर लाठी से हमला किया, जिसके कारण वह गिर गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी-1) तत्काल दर्ज की गई थी और इसमें हमलावर के रूप में

अपीलार्थी/अभियुक्त का नाम शामिल है, इसलिए सुरजाबाई (अ.सा.-1) का साक्ष्य प्राथमिकी द्वारा समर्थित है।

15. डॉ. के.के. साव (अ.सा.-5) ने बयान दिया कि मृतक के शवपरीक्षण में उन्हें सात चोटें मिलीं। अतः, सुरजाबाई (अ.सा.-1) का साक्ष्य चिकित्सा साक्ष्य द्वारा भी समर्थित है। हमने सुरजाबाई (अ.सा.-1) के साक्ष्य का अत्यंत सावधानी से अवलोकन किया है। उसका साक्ष्य ठोस, निर्णायक और विश्वसनीय है तथा प्राथमिकी और चिकित्सा साक्ष्य द्वारा संपुष्ट है। डॉक्टर ने राय दी है कि मृत्यु का कारण सिर की चोट से हुआ सिनकोप था। मृत्यु मानव वध प्रकृति की थी। घटनास्थल पर उसकी उपस्थिति पर संदेह नहीं किया जा सकता है। यह दिन के समय की घटना थी और उसके घर के पास उसकी उपस्थिति स्वाभाविक थी।

16. पूर्वगामी कारणों से, हमें विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा अभिलिखित किए गए निष्कर्ष में कोई त्रुटि नहीं मिली कि यह अपीलार्थी ही था जिसने लाठी से मृतक की खोपड़ी पर चोट पहुंचाई थी और मृतक ने उसके द्वारा पहुंचाई गई चोट के कारण दम तोड़ दिया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. परिणामस्वरूप, विचाराधीन निर्णय दोषरहित होने के कारण पुष्ट किया जाता है और अपील खारिज की जाती है।

हस्ताक्षरित/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

हस्ताक्षरित/-
आर.एस. शर्मा
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translasted By Yash Khare (Adv.)